314 19 जिन महिलाओं और कर्मचारियों के प्री–स्कूल अथवा प्राइमरी स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, उन कार्यरत महिलाओं और कर्मचारियों की सुगमता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्यस्थलों के पास अथवा कार्यालयों में शिशु सदनों की स्थापना।

संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के संबोधन में यह उल्लेख किया गया था कि केंद्र सरकार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सम्मिलित प्रयास किए जाएं। तब से सरकार ने कार्यरत महिलाओं द्वारा दोहरी जिम्मेदारियों को वहन करने तथा कार्य और परिवार की जिम्मेदारियों में संतुलन रखने में उनकी बढ़ती हुई व्यावहारिक कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए कार्यस्थलों के पास क्रैच सुविधाओं का अनिवार्यतः प्रावधान करने का निर्णय लिया है।

2. इस विषय पर आगे विचार किया गया है कि और क्रैच की सुविधाओं के लिए प्रावधान करने और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (पीएसई) में इनका विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। जिन पुरुष और महिला कर्मचारियों के प्री–स्कूल अथवा प्राइमरी स्कूलों में जाने वाले बच्चे हैं, उन कर्मचारियों के केंद्रीय क्षेत्र के उद्यमों के कार्यालयों में/कार्यस्थल के पास क्रैच सुविधाओं की स्थापना करना अनिवार्य होगा।

3. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से संबंधित सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के अध्यक्षों से अनुपालनार्थ इन अनुदेशों को जारी करने का अनुरोध किया जाता है। कृपया इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस विभाग को सूचित किया जाए।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 15(2)/2009–डीपीई(जीएम)–जीएल–97, दिनांकः 17 अगस्त, 2009)

*****